पत्र संख्या-टी0डी0एस0 कटौती / 2014-15// 3818 // वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक, 28 फरवरी 2017

समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 समाप्ति की ओर है तथा माह जनवरी 2017 तक वाणिज्य कर की प्राप्तियॉं संतोषजनक नहीं है । वाणिज्य कर प्राप्तियों में अन्य स्रोतों से प्राप्त कर के अतिरिक्त राजकीय विभागों/स्थानीय निकायों/कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा की गयी खरीद एवं कार्य संविदा के अन्तर्गत किये/कराये गये कार्य के भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) करते हुए वाणिज्य कर विभाग के मद मे जमा करायी जाती है ।

स्थानीय निकायों द्वारा प्राय: संविदाकार को बैंक के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाता है । अत: स्थानीय निकायों द्वारा की गयी खरीद एवं कार्य संविदा के अन्तर्गत किये/कराये गये कार्य के भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) करते हुए समयान्तर्गत जमा करायी जा रही है अथवा नही, इस तथ्य का सत्यापन किया जाना अतिआवश्यक है ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन में तैनात टैक्स ऑडिट विंग के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टैंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों से स्थानीय निकायों द्वारा किये गये विभिन्न भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) एवं समयान्तर्गत जमा कराये जाने की स्थिति का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें तथा प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी से नियमानुसार कार्यवाही भी कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

28/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।